

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक:-

रविशंकर,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

- (1) श्री राम लखन सिंह, शोध सहायक,
रूपांकण प्रमण्डल सं.-2, मेदिनीनगर।
- (2) श्री किशोरी राम, शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, जमशेदपुर।
- (3) श्री मलय कुमार, शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, सिंचाई डैम साईड, धुर्वा, राँची।
- (4) श्री नवल किशोर वर्मा, शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, सिंचाई डैम साईड, धुर्वा, राँची।
- (5) श्री बालेश्वर प्रसाद, शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, जमशेदपुर।
- (6) श्री रामाधार सिंह, शोध सहायक,
अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा।
- (7) श्री रामेश्वर शर्मा, शोध सहायक,
समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं.-01, धुर्वा, राँची।
- (8) श्री राम प्रसाद राम, शोध सहायक,
समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं.-01, धुर्वा, राँची।
- (9) श्री राजेन्द्र सिंह, शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर।
- (10) श्री पूर्णवासी सिंह, शोध सहायक,
रूपांकण प्रमण्डल सं.-02, मेदिनीनगर।
- (11) श्री श्याम नारायण दुबे, शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, सिंचाई राँची, डैम साईड धुर्वा, राँची।
- (12) श्री विनोद कुमार शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, सिंचाई राँची।
- (13) श्री अशोक कुमार शर्मा, शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, सिंचाई, राँची, डैम साईड धुर्वा, राँची।
- (14) श्री मो. गुलाम रसूल, शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची, डैम साईड धुर्वा, राँची।
- (15) श्री अंजनी कुमार वर्मा, शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, सिंचाई, राँची।
- (16) श्री अतनु सरकार, शोध सहायक,
सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया।
- (17) श्री राम निरंजन प्रसाद, शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर।
- (18) श्री राम पुकार सिंह, शोध सहायक,
गुण नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर (पलामू)।

राँची दिनांक:-

(कृ.पृ.उ.)

विषय:-

शोध सहायकों को प्रथम एवं द्वितीय ACP स्वीकृति के संबंध में कारण-पृच्छा।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश सं.-4787, दिनांक-31.12.2005 द्वारा आपको प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत क्रमशः वेतनमान 6500-200-10500 एवं 8000-275-13500 का वेतनमान स्वीकृत किया गया परंतु वित्त विभाग, झारखंड, राँची से प्राप्त परामर्श के आलोक में उपर्युक्त आदेश को संशोधित करते हुए विभागीय पत्रांक-1376, दिनांक-02.03.13 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित उन्नयन अन्तर्गत क्रमशः 5500-175-9000 एवं 6500-200-10500 का वेतनमान स्वीकृत किया गया। इस संदर्भ में कृपया स्पष्ट करें कि क्यों नहीं वित्त विभाग के परामर्शनुसार निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश सं.-1376, दिनांक-02.03.13 को बरकरार रखते हुए प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अन्तर्गत आपका वेतनमान क्रमशः 5500-175-9000 एवं 6500-200-10500 बरकरार रखा जाय।

WP(S) No- 93/2013 श्याम नारायण दुबे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में दिनांक-13.11.13 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में कृपया अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिनों के अंदर विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करावें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

/राँची, दिनांक:-

/

प्रतिलिपि:- जल संसाधन विभाग, झारखंड के अन्तर्गत सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी उपनिदेशक, गुण नियंत्रण प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्र से संबद्ध शोध सहायकों को अपने स्तर से भी संसूचित करने का कष्ट करेंगे।

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1441

/राँची, दिनांक:- 19/06/14

/

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/14

(रविशंकर)

सरकार के उप सचिव।

18/6/14